(राजस्थान—सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 01 / 2014

बउनवान

भूपेन्द्र पुत्र रतनलाल जाति धोबी निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारॉं

(प्रार्थी)

बनाम

1. हुसैन मोहम्मद पुत्र ख्वाजू खां जाति मुसलमान निवासी आटोन तह. अटरू जिला बारॉ
2. जुम्मी बाई पत्नी हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी आटोन तह. अटरू जिला बारॉं

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

उपस्थितिः 1. श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (प्रार्थी)
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 27.09.2021

प्रार्थी द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण के नाम ग्राम आटोन तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.75 हैक्टेयर का आवंटन दिनांक 08.04.2013 को किया गया है। जिससे अप्रसन्न होकर आवंटन आदेश निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 10.07.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन आदेश तलब किया गया। जो इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, अटरू के पत्रांक 5479 दिनांक 24.10.2017 के संलग्न प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम एवं विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम आटोन तह. अटरू में आराजी खसरा नं0 1044 की रकबा 0.50 हैक्टर खसरा नं0 1040 की रकबा 0.75 हैक्टर कुल दो किता रकबा 1.25 हैक्टर आराजियात स्थिति थी जो पूर्व [illegible] राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संग शिविर ग्राम आटोन में [illegible] अप्रार्थी क्रम 1 व अन्य गरीब काश्तकारान द्वारा उक्त आराजियात [illegible] हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे जिस पर शिविर अधिकारी द्वारा प्रार्थी व अन्य गरीब काश्तकारान को उक्त आराजियात आवंटन न करते हुए अप्रार्थी क्रमांक [illegible] अप्रार्थीगण के नाम आराजी खसरा नं0 1044 की रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नं0 1040 का रकबा 0.75 हैक्टर कुल दो किता रकबा 1.25 हैक्टर वाके आटोन तह. अटरू का दिनांक 08.04.2013 को आवंटन कर दिया गया। जबकि आवंटी भूमिहीन नहीं था। उसके खाते में सम्वत् 2073—2076 में भी अन्य भूमि थी, जिससे उक्त आवंटन काबिल निरस्तनीय है क्योंकि अप्रार्थी क्रम 1 के खाते में

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:30:39 IST
Reason: SelfAttested

पूर्व में हीं 1.94 हैक्टर आराजियात वाके ग्राम आटोन में स्थित है। इसलिये अप्रार्थी क्रम 1 आवंटन की पात्रता श्रेणी में नहीं आता है, किन्तु शिविर कर्मचारियों से मिलीभगत करके उक्त आराजियात का आवंटन गलत जानकारी देते हुए करवाया है जो विधि विरूद्ध है। शिविर अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा अप्रार्थीगण के मुस्लिम समुदाय का होने व उनके खातेदारी में पूर्व में आराजी दर्ज होने पर भी उक्त आराजी का आवंटन उनके पक्ष में गलत करने से हिन्दू गरीब एस.सी.एस.टी के परिवारों में रोष व्याप्त है। क्योंकि उक्त ग्राम आटोन में एस.सी.एस.टी के परिवार निवास करते है जिनके खातेदारी में 1 बिस्वा भी भूमि नहीं है, जो उक्त आराजी के आवंटन की पूर्ण पात्रता रखते है। किन्तु इस बात को न मानते हुए गलत रूप से उक्त आराजी का आवंटन अप्रार्थीगण के पक्ष में किया है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण के पक्ष में आराजी खसरा नं0 1044 की रकबा 0.50 हेक्टर, खसरा नं0 1040 की रकबा 0.75 हैक्टर कुल दो किता रकबा 1.25 हैक्टर वाके आटोन तह. अटरू का किया गया आवंटन दिनांक 08.04.2013 निरस्त फरमाया जावें। आवंटन की पात्रता रखने वाले गरीब एस.सी.एस.टी के व्यक्तियों को उक्त आराजी का आवंटन किये जाने के आदेश फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण को ग्राम आटोन तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.75 हैक्टेयर का आवंटन आदेश दिनांक 08.04.2013 से आवंटन की पात्रता के अनुसार हीं प्रावधानों एवं नियमों के तहत हीं आवंटन किया गया है। उक्त आराजी पर आवंटन उपरान्त से आवंटी काबिज काश्त है। इस पर अप्रार्थीगण आवंटियों को खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत निम्नानुसार प्रस्तुत किए जाकर :– RBJ-(17) 2010 page no. 608 अपील/एलआर/5418/06/कोटा नरेन्द्र सिंह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 09.06.2010 एवं RBJ-(23) 2016 page no. 102 अपील/7545/14/एलआर/जैसलमेर सरकार बनाम जसोदा निर्णय दिनांक 08.09.2015 प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत आवंटन आदेश निरस्ती का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थीगण के मुस्लिम समुदाय का होने व उनके खातेदारी में पूर्व में आराजी दर्ज होने पर भी उक्त आराजी का आवंटन उनके पक्ष में गलत करने से हिन्दू गरीब एस.सी.एस.टी के परिवारों में रोष व्याप्त है। किन्तु अपने पक्ष समर्थन में अप्रार्थीगण को किए गए आवंटन की प्रक्रिया में त्रुटि होने सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि आवंटन की पात्रता के अनुसार हीं प्रावधानों एवं नियमों के तहत आवंटन किया गया है एवं उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर सही साबित होते है। उक्त न्यायिक दृष्टांतो के अनुसार आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व [illegible] प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र विधिनः संधारणीय [illegible] से प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत आवंटन आदेश निरस्ती का प्रार्थना पत्र खारिज [illegible] जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:30:39 IST
Reason: SelfAttested

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर, बाराँ